

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर -राज0

पीठासीन अधिकारी : महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार

मिसल संख्या : 228/18

किस्म मुकदमा :

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 12.03.2019

निर्णय दिनांक : 10.04.2019

राजस्थान सरकार

बनाम

भागीरथराम पुत्र नेमाराम


जाति खटीक नि0 पांचवा

—: उनवान :-

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पांचवा द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भागीरथराम पुत्र नेमाराम जाति खटीक निवासी पांचव ने ग्राम पांचवा के खसरा नम्बर 270 कुल रकबा 2.27 हैक्टेयर में से रकबा 0.0220 हैक्टर किस्म गै.मु. गौचर भूमि पर सम्बत 2075 में अनाधिकृत रूप से पक्का मकान मय चारदिवारी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की प्रति गजू ने प्राप्त की। अप्रार्थी का भाई सुनिल उपस्थित हुआ तथा कोई जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब एवं कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने जानबूझकर गै. मु. गौचर भूमि पर अतिक्रमण किया है।


अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है अप्रार्थी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, की डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 सोमोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 11.03.2019 की पालना में ग्राम पांचवा के आराजी राज खसरा नम्बर 270 कुल रकबा 2.27 हैक्टेयर गै. मु. गौचर भूमि में से रकबा 0.0220 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर

  
तहसीलदार कुचामन  
जिला- नागौर

अर्थदण्ड स्वरूप अप्रार्थी पर लगान 0.11 का पच्चास गुणा से राशि 6/-  
अक्षरे छः रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली  
हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को अप्रार्थी को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा  
सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे । आरोपित शास्ति  
की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाई  
जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की  
मोहर से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(महावीर प्रसाद शर्मा)  
तहसीलदार, कायमी तहसील, नो. 10, राज 0  
जिला- नो. 10, राज 0